



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231957
CG-DL-E-17122021-231957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4899]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4899]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5290(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ. 79 (अ) तारीख 03 फरवरी 1997 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 4 फरवरी 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“1. डा. एस. के. मल्होत्रा, सहायक महानिदेशक/
प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली।

“अध्यक्षC इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख
से छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश
तक, जो भी पहले हो।”

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-I]

डा. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 79 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्या का.आ. 3669 (अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5290(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further to amend the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Farmers Welfare, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) on 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

- “1. Dr. S.K. Malhotra, Assistant Director General/
Principal Scientist, Indian Council of
Agricultural Research, New Delhi. “Chairman” for a period of six months
or until further orders whichever is
earlier from the date of publication of
this notification”.

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 3669 (E), dated the 19th October, 2020.